

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 550] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 1983/अग्रहायण 15, 1905
No. 550] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 6, 1983/AGRAHAYANA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1983

का० आ० 892(अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप पैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक

मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 121(अ) तारीख 4 मार्च, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे दी गई सारणी के क्रम सं० 3, के सामने स्तंभ (5) में “6-54” अंकों के स्थान पर “8-76” अंक रखे जाएंगे।

टिप्पण मूल अधिसूचना सं० 121(अ) तारीख 4 मार्च, 1982 का वाद में संशोधन नहीं हुआ है।

[सं० 9(29)/82-औषधि-2]

ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 6th December, 1983

S.O. 892(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 121(E), dated the 4th March, 1982, namely :—

In the Table below the said order, against serial number 3, in column (5), for the figures “6.54”, the figures “8.76” shall be substituted.

Note : The principal notification No. 121(E) dated the 4th March, 1982 has not been amended subsequently.

[No. 9(29)/82-Drug. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.